पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
357/2016/वाद पत्र	26.04.2016	18.05.2017

उनवान

1–8 द्वारका, मथरा, लूमा, मु0 मीरा, मु0 रसाली, मु0 जोलिया, मु0 धापु, मु0 पुड़िया पिता उगमा माली निवासी मालीखेड़ा (मगनपुरा) तह0 फूलियाकलां

– वादीगण

बनाम

1–4 गोपाल, घीसू, मु0 गूना, मु0 बगली पिता लादू माली नि0 मालीखेड़ा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकलां

5– हीरा बेवा लादू माली निवासी मालीखेड़ा (मगनपुरा) तह0 फूलियाकलां

6–7 मेवा, कल्याण पिता जालमा माली नि0 मालीखेड़ा (मगनपुरा)

8–10 नोरत, धनराज, मु0 समता पिता बगा माली निवासी मालीखेड़ा (मगनपुरा)

11– शान्ति बेवा बगा माली निवासी मालीखेड़ा (मगनपुरा) तह0 फूलियाकलां

12– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री लालाराम गुर्जर : अधिवक्ता वादीगण
2. श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम माली खेड़ा (मगनुपरा) प0ह0 माली खेड़ा तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2069–72 की खाता संख्या 25 मे आराजी कुल किता 15 रकबा 4.01 है0 वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के संयुक्त खातेदारी के रूप मे दर्ज होकर पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादी नं0 12 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। उक्त आराजीयात मे वादीगण का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 6 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 7 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 8 लगायत 11 का 1/5 हक हिस्सा निहित होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग मे ले रहे है। वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के खिलाफ बंटवाड़ा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद मे वर्णित आराजीयात मे से वादीगणों का 1/5 हिस्सा मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवाड़ा कराते हुये कब्जा वादीगणों को दिलाया जावे। वादीगणों के पक्ष मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे कि वाद पत्र मे वर्णित चाही आराजीयात के वादीगणों के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 स्वयं या परिवार के सदस्यो या नोकरो या ऐजेन्टो से किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे व न करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस

ओर से श्रीमती मदीना बानू अधिवक्ता ने अपना अधिकार पत्र पेश किया। जवाब हेतु अवसर की मांग की गई। दिनांक 08.09.2016 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। पेरोकार सरकार प्रकरण मे फोरमल पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नही किया गया। प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा – 2017 अटल सेवा केन्द्र धनोप पर रखा गया। पक्षकारान की विधिवत तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी सभी उपस्थित हुये । उपस्थित पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार " **हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य न्याय आपके द्वार मे समझोता हो गया है, हम जिस प्रकार मौके पर काबिज काश्त है उसी प्रकार हमारा बंटवाड़ा कर दिया जावे तथा आने जाने हेतु सुलभ रास्ता छोड़ दिया जावे ताकि भविष्य मे भी कोई विवाद नही हो।** " उक्त राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया जिसे सुनसमझ कर सही होना स्वीकार किया। जिससे राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2017 को केम्प धनोप पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉं, जिला–भीलवाड़ा